कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया

पत्रांक /आ0लि0/638/2013–14 दिनांक 29-06-13

सेवा में

प्रबन्धक
सनबीम स्कूल देवरिया
सोन्दा, सलेमपुर रोड़ देवरिया।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै **सनबीम स्कूल देवरिया सोन्दा , सलेमपुर रोड़ देवरिया.** को दिनांक 29.06.2013 से दिनांक 30.06.2016 तक तीन वर्षो की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है;–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और यह किसी रूप से कक्षा 8 के बाद मान्यता /संबंधन करने के लिए कोइ बाध्यता विवक्षित नहीं है!

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपबंध–1) और नि;शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010(उपबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।

3–विद्यालय कक्षा एक मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि;शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा तीन मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियो को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

1)–प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

2)–किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड़ या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

3)–प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

4)–प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

5)–अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यक्ताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना है।

6)–अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐ अर्जित करेगी।

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Director
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Director
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

(ग) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और

(घ) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों मे नियोजीत नही करेंगे ।·

विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाये रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडारागार के लिये कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मिल पकाने के लिये रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकुद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

10 विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिऐं किया जाता है।

11 विद्यालय की सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी विशिष्ट व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय की लेखाओ की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आवंटित कोड़ स0–03 है कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।

15 विद्यालय ऐसी रिर्पोट व सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धित शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियो को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17 राज्य उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

18 किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश मे आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(एस0के0 अन्सारी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

देवरिया।

Director
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Director
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

C.B.S.E. Affiliation No. - 2131726
School Code: - 70315
UDISE Code - 09600303808

Ph.No. +919721453269/72/74

Sunbeam School

Sonda (East),Salempur Road ,Deoria (U.P.)
Website: www.sbd.org.in, e-mail: sunbeam.deoria@gmail.com

TO WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

This is to inform that Sunbeam School Sonda (East), Salempur Road, Deoria, Uttar Pradesh, Deoria - 274001 has already got RTE Recognition from the State Education Department w.e.f. 29/06/2013 to 30/06/2016 and as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No - 419/79-6-2013-18 (20)/91** dated **8th May 2013** that provisional recognition will be given for three years. During this period in case no fact is established to contradict the rules of recognition, then after the completion of three years period it will be deemed that the school has got permanent recognition.

Sunbeam School Sonda (East),Salempur Road, Deoria, Uttar Pradesh, Deoria – 274001 has not contradicted any rules of recognition. Hence Sunbeam School Sonda (East),Salempur Road, Deoria, Uttar Pradesh, Deoria – 274001 is now permanently RTE Recognized as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No -419/79-6-2013-18 (20)/91** dated **8th May 2013.**

Principal

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.& Distt.-Deoria

मैनेजर
नबीम स्कूल
देवरिया